दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आप.वि.मु. सं. 1845/2008

सुरक्षित तिथि : 22.07.2009

निर्णय की तिथि : 01.09.2009

श्री टी.वी. रामनाथन **.....याचिकाकर्ता**

द्वारा: श्री डी.सी. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री आई. घोष अधिवक्ता

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार **....प्रत्यर्थी**

द्वारा: श्री पवन बहल, अति.लो.अभि.

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.के. शाली

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ

2. रिपोर्टर के पास भेजा जाना है या नहीं? हाँ

3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित होना चाहिए? हाँ

<u>वी.के. शाली, न्या.</u>

1. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के आधार पर 4 जनवरी, 2008 की शिकायत और 10 जनवरी, 2008 को विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा पारित समन आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है।

2. मामले के संक्षेप में बताए गए तथ्य यह है कि 2 नवंबर, 2007 को कारखाना निरीक्षक द्वारा परिसर संख्या b-24 ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस- I, नई दिल्ली का निरीक्षण किया गया था और यह आरोप लगाया गया है कि वहाँ 30 व्यक्ति कार्यरत थे जो बैटरियों की सर्विसिंग और मरम्मत कर रहे थे। संबंधित समय पर सोलह कर्मचारी काम करते पाए गए। तदनुसार, कारखाना निरीक्षण फॉर्म पर एक पंचनामा तैयार किया गया और प्रबंधन के प्रतिनिधि आलोक बोस के हस्ताक्षर लिए गए। उपरोक्त निरीक्षण के आधार पर दिनांक 22 नवंबर, 2007 को श्री टी. वी. रामनाथन, मैसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर एक्साइड बैटरीज़ का सर्विसिंग और मरम्मत केंद्र चलाने का आरोप था। दिलचस्प बात यह है कि निरीक्षण रिपोर्ट में अधिभोगी का नाम श्री टी.वी. रामनाथन दर्शाया गया है, हालांकि उनके हस्ताक्षर न लिए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

3. मैसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 18 दिसंबर, 2007 को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और दलील दी कि प्रश्नगत परिसर में बैटरी का निर्माण नहीं हो रहा था, क्योंकि विशेष प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विशिष्ट नाम, स्वरुप या उपयोग वाली कोई नई वस्तु या सामान अस्तित्व में नहीं लाया गया था। यह कहा गया था कि बैटरियों की केवल सर्विसिंग और मरम्मत को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ट) में परिभाषित के अनुसार विनिर्माण प्रक्रिया नहीं माना जा सकता है, और इसलिए, कारखाना अधिनियम,

1948 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों का कोई उल्लंघन कथित तौर पर उनके द्वारा नहीं किया गया था।

4. जवाब प्राप्त होने के बाद याचिकाकर्ता ने कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6, 7, 9(ख) और 45 के साथ सहपठित दिल्ली कारखाना नियम, 1950 के नियम 3, 3(क), 4, 5, 11(क), 63, 102 के तहत मैसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक श्री टी.वी. रामनाथन के खिलाफ वर्तमान शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। शिकायत श्री पी.के. गोस्वामी, कारख़ाना निरीक्षक , दिल्ली द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दायर की गई है और कहा गया है कि चूंकि वह व्यस्त लोक सेवक है, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा सकती है।

5. उपरोक्त शिकायत के आधार पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने 10 जनवरी, 2008 को एक आदेश जारी किया जिसमें यह देखा गया कि शिकायत एक लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दर्ज की गई है और दं.प्र.सं. की धारा 200 के तहत परिवादी को लिखित परीक्षा से छूट दी गई है। उपरोक्त समन आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने शिकायत और समन आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए वर्तमान याचिका दायर की।

6. मैंने याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डी.सी. माथुर और राज्य की ओर से अति.लो.अभि. श्री पवन बहल को सुना है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का पहला तर्क यह है कि शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि पहले चार अनुच्छेद और आखिरी तीन अनुच्छेद मुद्रित प्रारूप में हैं, लेकिन केवल कॉलम हाथ से भरे गए हैं और याचिकाकर्ता का नाम निदेशक और प्रश्नगत परिसर के अधिभोगी के रूप में दिखाया गया है। इसी तरह, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम उल्लेखित किया गया है, हालांकि वर्तनी गलत है। लेकिन यह दिखाने के लिए कोई भी सबूत अभिलेख पर नहीं रखा गया है कि प्रत्यर्थी को इस तथ्य के बारे में कहां

से पता चला कि श्री टी.वी. रामनाथन प्रश्नगत परिसर के अधिभोगी थे। यह कहा गया है कि श्री टी.वी. रामनाथन न तो मौके पर मौजूद थे और न ही उनके हस्ताक्षर यह दिखाने हेतु लिए गए थे कि वास्तव में वे परिसर के पट्टेदार के कब्जे में थे, इसलिए, श्री टी.वी. रामनाथन के खिलाफ शिकायत बिना किसी आधार के थी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि भले ही शिकायत एक लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के आधिकारिक निर्वहन में दायर की गई थी लेकिन यह शिकायत के साथ-साथ संलग्न दस्तावेजों से भी प्रतिबिंबित होना चाहिए कि शिकायत में उनके द्वारा दिए गए दावे कैसे टिकाऊ थे। चूँकि ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए, विद्वान न्यायालय की ओर से याचिकाकर्ता श्री टी.वी. रामनाथन के खिलाफ समन जारी करने का कोई कारण नहीं था।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह है कि शिकायत निश्चित रूप से टंकित प्रोफार्मा पर है जिसमें केवल दो कॉलम ही हाथ से लिखे गए हैं। इसके अलावा, शिकायत में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि यह कारख़ाना निरीक्षक द्वारा अपने कर्तव्यों के आधिकारिक निर्वहन में दायर की गई शिकायत है, और इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के प्रावधान के आधार पर उसकी परीक्षा से छूट दी जा सकती है। लेकिन इसके बजाय शिकायत में कहा गया है कि यह कारखाना निरीक्षक, अर्थात् प्रत्यर्थी द्वारा अपने कर्तव्यों के आधिकारिक निर्वहन में दायर किया गया है और चूंकि वह एक व्यस्त लोक सेवक है, इसलिए, परिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा सकती है। इसका मतलब है कि विद्वान महानगर दंडाधिकारी को आक्षेपित आदेश में यह नहीं लिखना चाहिए था कि यह याचिकाकर्ता द्वारा अपने कर्तव्यों के आधिकारिक निर्वहन में दायर की गई शिकायत है, और इसलिए, दं.प्र.सं. की धारा 200 के तहत परिवादी को जांच से छूट दी गई है, यद्यपि कि कारखाना निरीक्षक की ओर से ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। नतीजतन, शिकायत और आक्षेपित आदेश दोनों ही आदेश जारी करने में कारख़ाना निरीक्षक के साथ-साथ न्यायालय की ओर से विचारण की कमी को दर्शाते हैं। अपने इस तर्क को पुष्ट करने के लिए इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया गया है कि इस संबंध में समन का आदेश

पारित करते समय परिवादी के साथ-साथ विद्वान महानगर दंडाधिकारी दोनों द्वारा विचार किया जाना चाहिए:

रविंदर गोयल और अन्य बनाम राज्य और अन्य 2007 (1) जे.सी.सी. 465

डी.ए. मेहता और अन्य बनाम क्षेत्रीय निदेशक, ई.एस.आई., निगम 1991 (3) अपराध 72

फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड बनाम कंपनी पंजीयक(दिल्ली और हरियाणा) 1996 (37) डीआरजे 60

चरणजीत बनाम डी.डी.ए.और अन्य 94 (2001) डी.एल.टी 334

9. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तीसरा तर्क यह है कि 2 नवंबर, 2007 की निरीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रश्नगत परिसर में केवल बैटरी की सर्विस और मरम्मत की जा रही थी और याचिकाकर्ता द्वारा की जा रही बैटरी की सर्विस और मरम्मत के उक्त तथ्य को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ट) के तहत विनिर्माण प्रक्रिया के समान नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि विनिर्माण प्रक्रिया का अर्थ है एक नया वस्तु या सामान अस्तित्व में लाना या एक नया या एक अलग वस्तु जिसका अलग नाम, गुण या उपयोग हो जो किसी विशेष प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हो सकता है। इस संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया जो इस प्रकार हैं:

कर्मचारी राज्य निगम बनाम राम चंदर1988 (1) एस.सी.आर. 835

डनलप इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ1994 (4) एस.सी.सी. 686

बिक्री कर उपायुक्त बनाम मैसर्स कोको फाइबर्स 1990 (3) पूरक एस.सी.आर. 419

भारत संघ बनाम दिल्ली क्लॉथ और जनरल मिल्स 1963 (1) (पूरक) एस.सी.आर.

586

टेगा इंडिया लिमिटेड बनाम सी.सी.ई.2004 (2) एस.सी.सी. 727

सन्दर्भ में: ए.एम. चिन्नैया मंगर 786 संगु सोप वर्क्स, ए.आई.आर. 1957 मैड 755

10. विद्वान अति.लो.अभि. ने याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क को खारिज कर दिया है, हालांकि, किसी मामले का हवाला नहीं दिया गया है।

11. मैंने संबंधित प्रस्तुतियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। जहां तक श्री टी. वी. रामनाथन को प्रश्नगत परिसर के निदेशक/अधिभोगी के रूप में शामिल किए जाने का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है, शिकायत में एक दावा किया गया है कि वह प्रश्नगत परिसर के निदेशक/ अधिभोगी हैं लेकिन ऐसा एक भी सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि कारख़ाना निरीक्षक ने कैसे यह राय बनाई कि यह श्री टी.वी. रामनाथन ही थे जो मैसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक थे और प्रश्नगत परिसर के अधिभोगी थे। प्रश्नगत परिसर का अधिभोगी निश्चित रूप से एक्साइड उद्योग है और श्री टी.वी. रामनाथन उक्त कंपनी के एकमात्र निदेशक नहीं हैं। केवल यदि प्रश्नगत परिसर के संबंध में भूमि स्वामी द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख था और उसकी एक प्रति कारखाना निरीक्षक द्वारा जब्त कर ली गई थी, तो यह कहा जा सकता है कि वह परिसर का अधिभोगी था या वैकल्पिक रूप से यदि वह निरीक्षण के समय मौके पर मौजूद था, तो कुछ अनुमान लगाया जा सकता था कि वह सर्विस और मरम्मत केंद्र का प्रभारी था, और इसलिए, यह मानने का एक कारण था कि वह प्रश्नगत परिसर का अधिभोगी था। केवल इसलिए कि निरीक्षण के दौरान कारख़ाना निरीक्षक को पता चला कि श्री टी.वी. रामनाथन परिसर के अधिभोगी थे, उसके कारण उन्हें दाण्डिक कार्यवाही में शामिल करना उसे दण्डनीय अपराध हेतु समन के लिए पर्याप्त नहीं है।

12. इसलिए, मेरे विचार में निदेशक और परिसर के अधिभोगी के रूप में श्री टी.वी. रामनाथन के खिलाफ कोई कारण या औचित्य या कोई सबूत नहीं है जिसके लिए याचिकाकर्ता को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी किया जा सकता था। यह स्पष्ट रूप से

न्यायालय द्वारा विचारण की कमी को दर्शाता है। इस स्तर पर, ***डी.ए.मेहता और अन्य बनाम क्षेत्रीय निदेशक ईएसआई कॉर्पोरेशन*** 1991 (3) अपराध 72, ***फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड बनाम कंपनी रजिस्ट्रार (दिल्ली और हरियाणा)*** 1996 (37) डीआरजे 60, ***चरणजीत बनाम डीडीए और अन्य*** 94 (2001) डीएलटी 334 और ***रविंदर गोयल और अन्य बनाम राज्य और अन्य*** 2007 (1) जेसीसी 465 पर भरोसा किया जा सकता है।

13. जहां तक शिकायत का सवाल है, वह काफी हद तक टंकित प्रोफार्मा पर है लेकिन कुछ कॉलम हाथ से भरे गए हैं। यहाँ तक कि मुद्रित खंड 6 में भी, जहाँ शिकायत को कारखाना निरीक्षक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया बताया गया है, यह नहीं कहा गया है कि यह एक शिकायत है जो कारखाना निरीक्षक द्वारा अपने कर्तव्यों के आधिकारिक निर्वहन में की जा रही है, और इसलिए, परिवादी की परीक्षा दं.प्र.सं. की धारा 200 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए या छूट दी गई है। उक्त खंड में दावा किया गया है कि परिवादी अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है और चूंकि परिवादी/प्रत्यर्थी व्यस्त लोक सेवक है, इसलिए उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा सकती है। इन परिस्थितियों में यह एक घिसा-पिटा शिकायत बन जाती है जो बिना ज्यादा विचार किये हुए तैयार की गई है क्योंकि विद्वान मजिस्ट्रेट परिवादी के बयान की रिकॉर्डिंग से छूट तभी दे सकता था जब इस तरह के लाभ का दावा किया गया हो। विद्वान मजिस्ट्रेट की ओर से परिवादी या ऐसे अन्य गवाहों की जांच करने से इनकार करने का कोई अवसर नहीं था जो शिकायत की प्रस्तुति के समय उपस्थित हो सकते थे। इस प्रकार, समन का आदेश और शिकायत दोनों ही विवेक का प्रयोग न करने से पीड़ित हैं। जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, इस न्यायालय ने बार-बार विभिन्न निर्णयों में मुद्रित प्रोफार्मा में बिना ज्यादा विचार किये हुए पारित की जाने वाली शिकायतों या समन आदेश की कड़ी आलोचना की है।

14. इस कारण से न केवल 10 जनवरी 2008 का समन आदेश, बल्कि शिकायत भी मनमानी और विवेक का प्रयोग न करने के दोष से पूर्ण हैं, और इसलिए, समन का आदेश और शिकायत दोनों ही रद्द किए जाने योग्य हैं।

15. जहां तक याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की तीसरी दलील का संबंध है कि बैटरियों की सर्विस और मरम्मत विनिर्माण प्रक्रिया के समान नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है क्योंकि शिकायत को इसी कारण से रद्द करने का निर्देश दिया गया है कि यह बिना किसी विचार किये आवेदन के और समन आदेश के साथ पारित की गई है, और इसलिए, इस विशेष न्यायालय के लिए इस बात पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है कि सर्विस और मरम्मत केंद्र 'विनिर्माण प्रक्रिया' की परिभाषा में नहीं आता है।

16. ऊपर वर्णित कारणों से, मेरा विचार है कि शिकायत के साथ-साथ 10 जनवरी, 2008 का समन आदेश को भी अपास्त /रद्द किया जाना चाहिए। इन निर्देशों के साथ, याचिका का निपटान किया जाता है।

वी.के. शाली, न्या.

1 सितंबर, 2009

केपी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*